

18/2011

25/20

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं।
न्यायालय समय में कई बार आवाज लगाये जाने पर
भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली
अदम पैरवी, अदम टाजरी में खारिज की जाती है।
पत्रावली कैबल शुमार शेकर बाद तरतीब, तकरीब
कामिल कप्तार से।

SM
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

